राजस्व वाद संख्याः– 162/2020
हजारीलाल वगै0 बनाम बीरबलराम वगै0
निर्णय दिनांकः– 02.12.2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 162/2020

1. हजारीलाल उम्र 44 वर्ष पुत्र अर्जुनराम जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. निहालसिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र अर्जुनराम जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

– वादीगण

बनाम

1. बीरबलराम उम्र 65 वर्ष पुत्र अर्जुनराम जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. बिमला उम्र 60 वर्ष पुत्री अर्जुनराम जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. बदाराम उम्र 65 वर्ष पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. रोशनलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. लिछमा उम्र 70 वर्ष पत्नी स्व0 जुगलाल जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. राजेश कुमार उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व0 जुगलाल जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
7. सज्जन उम्र 40 वर्ष पुत्र स्व0 जुगलाल जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
8. राजू पुत्री स्व0 रूघवीर जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
9. रेखा पुत्री स्व0 रूघवीर जाति मीणा निवासी डुलानियॉं तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
10. झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0।
11. आई सी आई सी आई बैंक पिलानी जरिये शाखा प्रबंधक आई सी आई सी आई बैंक शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
12. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पिलानी जरिये शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाख सीरी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डुलानिया जरिये शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा डुलानिया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः– 162/2020
हजारीलाल वगै0 बनाम बीरबलराम वगै0
निर्णय दिनांकः– 02.12.2022

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक – 02.12.2022

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि भूमि खेत ख0न0 555 रबा 4.60 है0 ख0न0 562 रकबा 2.75 है0, ख0न0 563 रकबा 2.52 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 9.87 है0 स्थित ग्राम लीखवा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन इस प्रकार से किया जावे कि वादीगण का समस्त हिस्सा ख0न0 562 में दर्ज करते हुए बाई हिस्स एवं बाई बाउण्डस खाता विभाजन किया जाकर वादीगण का खाता अलग अलग दर्ज किया जाना फरमाया जावे एवं विभाजन में प्राप्त भूमि पर वादीगण का अलग से कब्जा करवाया जाकर लगान भी अलग अलग कायम किया जाना फरमाया जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि में विभाजन में प्राप्त वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करे।

(ग) यह कि हर्जा खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

(ग) यह कि अन्य सिद्वी जो बहक वादीगण हो भूल या गलती से चाही जाने से रह गई हो वो भी वादी को धारा 209 रा0का0अ0 के तहत दिलवायी जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 09 की और से श्री सुरेश कुमार एड0 की और से वकातनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नक्ल जमाबंदी सं0, नक्शा ट्रेस एवं विभाजन प्रस्ताव।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पक्षकारान की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया। वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगा0 09 ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई तथा आदेशिका पर हस्तक्षर किये। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्याः— 162 / 2020
हजारीलाल वगै0 बनाम बीरबलराम वगै0
निर्णय दिनांकः— 02.12.2022

—:: आदेश::—

न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ख0न0 555 रबा 4.60 है0 ख0न0 562 रकबा 2.75 है0, ख0न0 563 रकबा 2.52 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 9.87 है0 स्थित ग्राम लीखवा का विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0 / 2022 / 2263 दिनांक 07.09.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
उप जिला कलेक्टर,
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
उप जिला कलेक्टर,
सूरजगढ़

Scanned with Oken Scanner

राजस्व वाद संख्या:— 162/2020
हजारीलाल वगै0 बनाम बीरबलराम वगै0
निर्णय दिनांकः— 02.12.2022

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र कुमार, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.—162/2022

निर्णय दिनांक :— **02-12-2022**

हजारीलाल वगै0 बनाम बीरबलराम वगै0

दावा बाबत खाता विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रामेश्वर दयाल एड0 तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगा0 09 की और से श्री सुरेश कुमार एड0 की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 02.12.2022 को राजेन्द्र कुमार, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि–

"न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि ख0न0 555 रबा 4.60 है0 ख0न0 562 रकबा 2.75 है0, ख0न0 563 रकबा 2.52 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 9.87 है0 स्थित ग्राम लीखवा का विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू0अ0/2022/2263 दिनांक 07.09.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with Oken Scanner